

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
Telephone No 0141-2222683- E-mail-add4ng@gmail.com

क्रमांक:- ई-20/अध्य. अव./ x-04-00920/2025/ 98

दिनांक :- 24/02/2025

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का जीएनएम प्रशिक्षण हेतु आरएसआर के नियम-110 एवं 112 के तहत उनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र एवं जीए-45 के आधार पर अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्यकर्ता का नाम	पदस्थापन स्थान	प्रशिक्षण सत्र	अवकाश अवधि
1.	बबीता कुमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र मामडोली, मकराना, डीडवाना-कुचामन	2022-23	1. दिनांक 31.12.2022 से 30.12.2024 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश। 2. दिनांक 31.12.2024 से 29.04.2025 तक 120 दिवस का उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 30.04.2025 से 30.12.2025 तक 245 दिवस का असाधारण अवकाश।

उक्त अवकाश अवधि का वेतन इनके मूल पदस्थापन स्थान से आहरित किया जावेगा, यदि मूल पदस्थापन स्थान में पद भरे जाने की स्थिति में निदेशालय के पत्रांक 07 दिनांक 03.01.2024 की परिधि में आने पर प्रकरण में तदनुसार कार्यवाही की जावे।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक :- 24/02/2025

क्रमांक:- ई-20/अध्य. अव./ x-04-00920/2025/ 98

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना कुचामन।
- सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- प्रभारी प्रशिक्षण अनुभाग, मुख्यालय।
- संबन्धित प्रभारी जीएनएम प्रशिक्षण केन्द्र को सूचनानार्थ।
- संबन्धित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :21-02-2025 06:34:12